मंगलदान बनाम तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़

किस्म मुकदमा प्रा.पत्र अ. धा. 136 LR Act. नं. 62 सन् 2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18/5/18	प्रार्थी मंगलदान दत्तक पुत्र श्योदान दान जाति चारन निवासी ग्राम जोरजी चारन की ढाणी तन नेछवा तह. लक्ष्मणगढ़ ने प्रार्थना पत्र अ. धा. 136 LR Act के तहत पेश कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजियात खसरा सं. 24 रकबा 2.47 हैं., खसरा सं. 58 रकबा 0.16 हैं., खसरा सं. 59 रकबा 2.97 हैं. कुल रकबा 5.60 हैं. जिसके पूर्व खसरा सं. 21/2 रकबा 2.47 हैं., खसरा सं. 37 रकबा 3.36 हैं. कुल रकबा 5.83 हैं. वाके ग्राम नेछवा तह. लक्ष्मणगढ़ में अवस्थित आराजीयात है जिसमें वर्तमान खसरा सं. 24, 58, 59 कुल किता 3 कुल रकबा 5.60 हैक्टेयर है पूर्व खसरा सं. 21/2, 37 कुल किता 2 कुल रकबा 5.83 हैं. भूमि भाग है जिनमें वर्तमान खसरा नम्बरों में वादी की खातेदारी रकबा 0.23 है भूमि भाग कम अंकन कर दी जो दुरुस्त किया जाकर वादी की खातेदारी में जोड़ा जाने के आदेश फरमाये जावें। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन करने निवेदन किया। प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र पर तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ से रिपोर्ट तलब किया गया। रिपोर्ट प्राप्त। पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो। उक्त प्रस्तुत रिपोर्ट में अंकित किया है कि उक्त आराजियात के सम्बन्ध में उपलब्ध पुराना राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत 2012-2015 के खाता सं. 249, सम्वत 2015-18 के खाता सं. 295, सम्वत 2020-2023 के खाता सं. 201, सम्वत 2024-27 एवं सम्वत 2028 से 2031 के खाता सं. 42 में ख. सं. 21/2 रकबा 9 ।।।) बीघा (2.47 हैं.) व ख.सं. 37 रकबा 12।)3 बीघा (3.13 हैं.) अर्थात्	

कुल रकबा 22)3 बीघा (5.60 हैं) खातेदारी दर्ज है। इसके बाद की जमाबंदी सम्वत 2032 से 2064 तक में ख. सं. 37 का रकबा 12)3 बीघा (3.13 हैं) की जगह 13)1 बीघा (3.36 हैक्टेयर) लिपिकीय त्रुटि के कारण गलत रूप से दर्ज चला आ रहा है। मौके के अनुसार उक्त दोनों खसरा नम्बरों के चारों ओर सींव पर जाल लगाकर तारबंदी की हुयी है जो कई वर्ष पुरानी है। रास्ते के पश्चिमी साईड ख. सं. (नया) 24 एवं पुराना 21/2 में एक ट्यूबवेल बना हुआ है जो विद्युत कनेक्शन शुदा है। तारबंदी के भीतर से नपती करने पर (खातेदारी रास्ते सहित) कुल रकबा 5.60 हैं ही मौके पर बनता है जो वर्तमान चालू राजस्व रेकार्ड (भू- प्रबंध रेकार्ड) में दर्ज 5.60 हैक्टेयर रकबे के समतुल्य ही है।

अतः प्रार्थी की खातेदारी भूमि में पूर्व के राजस्व रेकार्ड जमाबंदी संवत 2012 से 2031 व चालू जमाबंदी (भू-प्रबन्ध बन्दोबस्त) के रकबे में किसी प्रकार की कोई तब्दीली नहीं हुई है। अर्थात् प्रार्थी का कुल रकबा 5.60 हैक्टेयर ही है जो सही है।

उक्त रिपोर्ट व समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजात आदि का अवलोकन किया। मुताबिक तहसीलदार लक्ष्मणगढ के प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र में चाहा गया अनुतोष दिया जाना उचित नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र तहसीलदार, लक्ष्मणगढ की रिपोर्ट के आधार पर इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली मैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उप खण्ड अधिकारी
लक्ष्मणगढ़ (सीकर)
कैम्प नेछवा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ (सीकर)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official